प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चौबीस'

प्रश्न सं. [क्र. 925]

[18/7/2017]

परिशिष्ट—अ

विधान सभा अतारांकित प्रश्न कमांक 925 द्वारा श्री जीतू पटवारी

कमांक	जांच आयोग का नाम जिसकी जांच रिपोर्ट विधान सभा के पटल पर रखे जाने के लिये लंबित है	जांच आयोग का कार्यकाल	जांच आयोग के प्रतिवेदन शासन को प्राप्त होने का दिनांक
1.	2.	3.	4.
1.	उपायुक्त वाणिज्यिक कर के मृत्यु की घटना ।	06.08.2004 से 30,04.2009 तक	30.04.2009
2.	सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अनियमितता की घटना	08.02.2008 से 15.09.2012 तक	15.09.2012
3.	भोपाल यूनियन कार्बाईड जहरीली गैस रिसाव की घटना	25.08.2010 से 25.02.2015 तक	25.02.2015
4.	जिला सिंगरौली थाना बैढन में हुई गोली चालन घटना ।	16.12.2013 से 30.09.2014 तक	30.09.2014
5.	गोसपुरा नं 2 मानमंदिर, ग्वालियर की पुलिस मुठभेड में मृत्यु की घटना।	17.08.2015 से 9.01.2017 तक	09.01.2017
6.	पेटलावद जिला झाबुआ में हुये विष्फोट घटना ।	15.09.2015 से 10.12.2015 तक	10.12. 2015

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष—10)

परिशिष्ट "ख"

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन– 462 004

क्रमांक एफ 24–06/2017/1-10

भोपाल, दिनांक 12/06/2017

अधिसूचना

यतः जिला मंदसौर में दिनांक 06.06.2017 को आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग किये जाने से 05 व्यक्तियों की मृत्यु की घटना घटित हुई है।

2/ और, यतः, राज्य सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित बिन्दुओं की जांच किये जाने के प्रयोजन के लिए जांच आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है :–

(एक) उपरोक्त घटनाएं किन परिस्थितियों में घटी?

(दो) क्या पुलिस द्वारा जो बल प्रयोग किया गया क्या वह घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त था या नहीं? यदि नहीं तो इसके लिए दोषी कौन है?

(तीन) क्या जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने तत्समय निर्मित परिस्थितियों और घटनाओं के लिए पर्याप्त एवं सामयिक कदम उठाये थे?

(चार) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस संबंध में यथोचित सुझाव।

(पांच) ऐसे अन्य विषय जो जांच के अधीन मामले में आवश्यक या अनुषांगिक हों?

3/ अतएव, राज्य शासन जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री जे.के. जैन, की अध्यक्षता में एकल सदस्य जांच आयोग सार्वजनिक महत्व के उपर्युक्त विषयों की जांच करने हेतु नियुक्त करता है।

4/ आयोग का मुख्यालय इंदौर रहेगा।

5/ आयोग, इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

अवर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग (क्र. 10)

(उषा परमार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

परिशिष्ट "द"

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन – 462 004

क्रमांक एफ 24–8/2017/1–10 भोपाल, दिनांक 14/06/2017

प्रति,

आयुक्त,
इंदौर संभाग,
इंदौर (म0प्र0)।

विषयः–जिला मंदसौर में दिनांक 06/06/2017 को हुई घटना की न्यायिक जांच हेतु गठित जांच आयोग हेतु स्टॉफ एवं कार्यालय की व्यवस्था बाबत।

—0—

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना कमांक 24–6/2017/1–10, दिनांक 12/06/2017 द्वारा जिला मंदसौर में दिनांक 06/06/2017 को घटित घटना की न्यायिक जांच हेतु आयोग का गठन किया गया है। अधिसूचना की प्रति संलग्न है। उक्त जांच आयोग के लिये आयुक्त इंदौर संभाग नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगें। आयोग के कार्यालय के कार्य संचालन हेतु जांच आयोग के कार्यकाल तक निम्नानुसार कर्मचारी उपलब्ध कराया जायः–

स.क.	पदनाम	पद संख्या
1.	सचिव	01 (माननीय एकल सदस्य की अनुशंसा अनुसार)
2.	शीघ्रलेखक	01
3.	लेखापाल	01
4.	रीडर	01
5.	साक्ष्य लेखक	01
6.	भृत्य	02

(2) सचिव के पद को छोडकर सभी पद आपके संभाग में पदस्थ स्थानीय शासकीय कार्यालय के अधिकारी/ कर्मचारियों से पूर्ति की जाएगी।

(3) उक्त पद आयोग के कार्यकाल तक के लिए है।

(4) आयोग के मान. अध्यक्ष के लिये एक वाहन मय चालक उपलब्ध कराया जाये इसके लिये पृथक से आबंटन दिया जायेगा।

(5) आयोग के कार्यालय के लिये स्थान मय फर्नीचर एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराया जाए।

(6) कार्यालय उपयोग हेतु स्टेशनरी, कम्प्यूटर, प्रिंटर, टेलीफोन, फैक्स आदि उपलब्ध कराया जाये।

(7) आयोग को कार्य तत्काल प्रारम्भ करने के लिए स्टेशनरी आदि उपलब्ध करायी जाये, इसके लिये पृथक से आबंटन जारी किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्था करने का कष्ट करें।

(उषा परमार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 24–8/2017/1–10 भोपाल, दिनांक 14/06/2017

प्रतिलिपिः–

माननीय अध्यक्ष मंदसौर घटना जांच आयोग। की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष–10)